



नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलम्बन

फतेहगढ़ पुलिस



* मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण *

#OperationConviction

थाना मऊदरवाजा

दिनांक-18.05.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रामकरन पुत्र गयाहीन निवासी न्यामतपुर खेडा थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0-110/2017 वाद संख्या 17/2017 धारा 354,323, भादवि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक 18.05.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री तेज सिंह



एडीजीसी - श्री विक्रम कटियार



को0 मो0 म0 का0 प्राची



पैरोकार - का0 गुलाम घोष